संख्या– /26–3–2012–10(28)/99–टी0सी0

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 16 अगस्त, 2012

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–80 की आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं हेतु आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–958–59/स0क0/लेखा–बजट/2012–13, दिनांक 16.07.2012 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या–861(2)/26–3–2012–10(28)/99 दिनांक 27.04.2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/देस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या–80 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण" के अंतर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु निम्न् विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि में से लेखानुदान के अनुसार पूर्व स्वीकृत धनराशि को घटाते हुए रू0 1,10,50,00,000/–(रूपये एक अरब दस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुदान संख्या–80 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपयों में)

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	आय–व्ययक प्राविधान 2012–13	लेखानुदान के अनुसार स्वीकृत धनराशि 2012–13	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2012–13
राजस्व लेखा **2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–** 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण– 277–शिक्षा– 10–अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता– 1001–राज्य योजना– 21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन–	3600000	1200000	600000

19–अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति– 21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन–	3000000	1000000	500000
20–मैला उठाने, चमड़ा उतारने जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के दशमपूर्व कक्षाओं(कक्षा 1 से 10 तक) अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन–	30000	10000	5000
योग–2225–	**6630000**	**2210000**	**1105000**

(रूपये एक अरब दस करोड़ पचास लाख मात्र)

(1) वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा–88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा एवं स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(2) विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0–13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

---3

(5) सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन), छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन, किसान/वृद्धावस्था पेंशन एवं इस प्रकार के अन्य मदों के लिए पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये। वित्तीय वर्ष 2011–12 में निर्गत धनराशि एवं चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूर्व में स्वीकृत धनराशि तथा स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–1810(1)/26–3–2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3–कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ एवं अन्य समस्त संबंधित कोषाधिकारी,उ0प्र0 द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।
4–वित्त(व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5–संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।
6–निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ
7–सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8–गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(एन0एच0रिजवी)
उप सचिव